

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,


निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.12.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राम एकबाल सिंह पिता-भिखारी सिंह ग्राम-पीपरा खास पो०+थाना-मीरगंज जिला-गोपालगंज सीआरनं०-167138/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/-(साठ हजार) स्वीकृत।
2	बिपिन कुमार पिता-राजेन्द्र यादव ग्राम-पो०-दुधैला थाना-सोनवर्षा जिला-सहरसा सीआनं०-176556/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/-(साठ हजार) स्वीकृत।
3	तारा देवी पति-विजय महतो ग्राम-पो०-सरॉव थाना-रसुलपुर जिला-सारण सीआरनं०-174541/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/-(साठ हजार) स्वीकृत।
4	प्रिंस कुमार पिता-मनोज चौधरी ग्राम-बाजीतपुर पो०-दाहा बीगहा थाना-नगर नौसा जिला-नालंदा सीआरनं०-186624/16 	कैंसर रोग	₹ 60,000/-(साठ हजार) स्वीकृत।

5	मो० सदरूद्दीन पिता-मो० बदरूद्दीन ग्राम+पो०-प्रताप टांड थाना-भगवानपुर जिला-वैशाली सीआरनं०-168737 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
6	लुखीया देवी पति-सदो तांती ग्राम-महुली पो०-हसनपुर सुगर मिल्स थाना-हसनपुर जिला-समस्तीपुर सीआरनं०-186090 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत ।
7	गणेश प्रसाद पिता-स्व. नगीना प्रसाद ग्राम-बंजारी पथ सरैया वार्ड नं०-13, पो०+थाना+जिला-गोपालगंज सीआरनं०-161676 / 15	कैंसर रोग	₹ 40,000 / -(चालीस हजार) स्वीकृत ।
8	मो० उमर अली पिता-मो० इसहाक अली ग्राम-पुनौरा टोला भोरहा पो०-पुनौरा थाना+जिला-सीतामढी सीआरनं०-179482 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
9	रुखसाना खातुन पति-मो० मसीबुर रहमान ग्राम-लसकर बाड़ी पो०-बेलबाड़ी थाना-आजम नगर जिला-कटिहार सीआरनं०-180542 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
10	सुरमिला देवी पति-रविन्द्र नारायण सिंह ग्राम-नीरखपुर पो०-थाना-पालीगंज जिला पटना सीआरनं०-191024 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
11	जयकल देवी पति-भुई पासवान ग्राम-पो०+थाना-बेलसंड जिला-सीतामढी सीआरनं०-140801 / 16 २०/११/१७ ११/११/१७	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।

12	पंडु देवी पति-प्रसादी यादव ग्राम-पो0-गुगुलडीह थाना-बरहट जिला-जमुई सीआरनं0-185861 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत।
13	जसीमा खातुन पति-मो0 इब्राहीम ग्राम+पो0-भुतही थाना सोनबरसा जिला-सीतामढी सीआनं0-141549 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
14	इन्द्रासना देवी पति-शैलेश कुमार दास ग्राम-बन्नी पो0-नगरा थाना-खैरा जिला-सारण छपरा पंजी / ओ0पीडी / 137219 / 15	कैंसर रोग	₹ 50,000 /--(पचास हजार) स्वीकृत।
15	पुजा गुप्ता पति-अनिल कुमार ग्राम-पो0-सुतीहार थाना-डेरनी जिला-सारण पंजी / ओ0पीडी / 007778 / 16	कैंसर रोग	₹ 40,000 /--(चालीस हजार) स्वीकृत।
16	मंशी राय पिता-बंश लाल राय ग्राम-कजराहा टोला मिर्जापुर पो0-कजराहा थाना-मधुबन जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-147551 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
17	सदीना खातुन पति-अहमद अंसारी ग्राम-परीहार टोले एकडंडी पो0-थाना-परीहार जिला-सीतामढी सीआरनं0-178252 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
18	सजेमा पति-सुलेमान ग्राम-अलीनगर पो0-गोआसी थाना-के0 नगर जिला-पूर्णिया पंजी / ओ0पीडी 092153 / 13	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।

21/11/17

19	बोध नाथ चौबे पिता-स्व. उच्छत चौबे ग्राम-प्यारेपुर पो0-कैलगढ़ थाना-थावे जिला-गोपालगंज सीआरनं0-151215 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
20	आशा देवी पति-रवि कान्त मिश्रा ग्राम+पो0-तेमखा राका थाना-परबता जिला खगड़िया सीआरनं0-181486 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
21	गोलु पिता-विनोद यादव ग्राम-अकालुपुर पो0-छतनवार थाना-डुमरौव जिला बक्सर सीआरनं0-180658 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 / - (अस्सी हजार) स्वीकृत।
22	धिरजानन्द यादव पिता-कृष्णा यादव ग्राम+पो0-सिन्हा थाना कृष्णा गढ़ जिला-भोजपुर आरा सीआरनं0-191537 / 16	हृदय रोग	₹ 50,000 / - (पचास हजार) स्वीकृत।
23	पक्कु वासगीत पिता-पेंडरा किस्कु ग्राम-टोला नया डीह पो0-कामदेव डीह थाना कटोरीया जिला बांका पंजी / ओ0पीडी / 095195 / 15	कैंसर रोग	₹ 40,000 / - (चालीस हजार) स्वीकृत।
24	राम एकबाल पासवान पिता-स्व. राम विलास पासवान ग्राम+पो0-बरुही थाना-सहार जिला-भोजपुर, आरा सीआरनं0-190066 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
25	मीना देवी पति-स्व. मकुन चौधरी ग्राम-मंझौली पो0-कल्याणपुर थाना-पीपरा जिला-पटना सीआरनं0-190993 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / - (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।


31/1/18
9/1/18

26	निर्मला देवी पति-मदन प्रसाद केसरी ग्राम-पो0-डुमर थाना-फलका जिला-कटिहार सीआरनं0-187175 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
27	सिकन्दर महतो पिता-स्व0 राम औतार महतो ग्राम+पो0-नकुनी थाना-हसनपुर जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-117205 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
28	राम किशुन पासवान पिता-परमेश्वर पासवान ग्राम-पो0-छौरही थाना-बाबु बरही जिला-मधुबनी सीआरनं0-191260 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
29	रेमन्ती देवी पति-प्रकाश साव ग्राम+पो0-उतली बारा थाना-टनकुप्पा जिला-गया सीआरनं0-162212 / 15	कैंसर रोग	₹ 40,000 / -(चालीस हजार) स्वीकृत।
30	सरिता देवी पति-बलराम प्रसाद यादव ग्राम+पो0-रहुआ थाना-के0 नगर जिला-पूर्णिया सीआरनं0-091875 / 16	कैंसर रोग	₹ 40,000 / -(चालीस हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में
31	दिनानाथ प्रसाद पिता-महादेव प्रसाद ग्राम-पो0-सरना थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर सीआरनं0-179958 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
32	शशिकला देवी पति-दिलेश्वर दास ग्राम-मझौलीया पो0-नवगढ़ थाना-आमस, जिला-गया सीआरनं0-179799 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
33	शकुन्तला देवी पति-श्री बच्चा राव ग्राम-पो0-डुमरा थाना-लौरीया जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-163610 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / -(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

20/11/17

34	दयानन्द कुमार पिता-सरयुग प्रसाद ग्राम+पो0-तेतरावां थाना-मानपुर जिला-नालंदा सीआरनं0-112128 / 16	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000 / - (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
35	शमशुल पिता-जहीर ग्राम+पो0+थाना-सुरसंड जिला-सीतामढ़ी सीआरनं0-136695 / 16	हृदय रोग	₹ 50,000 / - (पचास हजार) स्वीकृत।
36	जनार्दन राय पिता-विशश्वर राय ग्राम-राघोपूर पूर्वी पो0-राघोपुर, थाना-जुड़ावनपुर जिला-वैशाली सीआरनं0-186282 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / - (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 25,15,000 / -

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 25,15,000 / - (पच्चीस लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 836253 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं0 मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।
मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।



विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....836253.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - ०१ (१५)

पटना, दिनांक - १०-०१-१७

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री राहुल तिवारी मा० स० वि० स० शाहपुर / श्री श्रवण कुमार मा० मंत्री ग्रामीण वि० एवं सं० कार्य विभाग / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
श्री. (सन्दी)

सं० सं० 14 / एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक
रविन्द्र नाथ टैगोर अर्न्तराष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.12.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	इम्तेयाज अहमद पिता-स्व.मुहम्मद अली अंसारी ग्राम-नवीगंज पो-मीरगंज थाना-बरहरीया जिला-सीवान	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 836247 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50001127638 खाता धारक का नाम-"निदेशक, रविन्द्र नाथ टैगोर अर्न्तराष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान, मुकुन्दपुर, कोलकत्ता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम-आर.टी.आई.आई.सी.एस.मुकुन्दपुर,ब्रांच RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212447 में अंतरित किया जाता है।
- गुलत प्रमाण पत्र/छवम नाम /अथवा गुलत लरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीजों/अनुदान प्राप्तियों के संबंधित लेखा खातों में अंतरित किया जाएगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

श्रीधर
9/1/17

5. मरीज के चिकित्सापरामर्श चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाब हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 83647 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

17 (14)

पटना, दिनांक

- 10-1-17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्या0 विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

प्रेषक

डा0 आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

श्रीजयदेवा इंस्टीच्युट ऑफ कार्डियो वासकुलर

साइंस एंड रिसर्च बंगलौर, कर्नाटका-560069 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.12.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	श्री निवास सिंह पिता-स्व. जनार्दन सिंह ग्राम-रामदौली पो0-विदुपुर बाजार थाना-विदुपुर, जिला- वैशाली	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सत्तर हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 70,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 70,000/- (सत्तर हजार) रुपया का क्रास चेक सं0.... ..

...836248... मूल रूप में संलग्न है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 19 (14)

पटना, दिनांक - 10-1-17

प्रतिलिपि-लेखापाल,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री शत्रुघ्न तिवारी,
मा0 सं0वि0सं0 अमनौर/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

श्री.सिन्हा